कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती जमनाबाई व अन्य
किस्म धारा–212 आर.टी.ए.

विपक्षी श्री देवीलाल व अन्य
प्रकरण संख्या 94 / 2022

	कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर–2022 / 82)	
08–04–2026	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा अदकालिया की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 100 आराजी नम्बर 717 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया एवं उसके परिवार की कृषि भूमि है। विपक्षीगण जिनका उक्त कृषि भूमि कोई सम्बन्ध नही होने के बावजुद आये दिन प्रार्थीया के कृषि कार्यो मे बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः आदेशिका दिनांक 08–08–2022 को प्रार्थीया के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध जारि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कर्न्फम की जाकर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमती जताई। उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने न्यायालय मे हाजिर होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के खण्डन मे कोई जवाब पेश नही किया एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमती जाताई है। अतः आदेशिका दिनांक 08–08–2022 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कर्न्फम की जाती है एवं विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीयां की आराजीयात की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे एवं मौके की यथास्थिति मूलवाद के निरस्तारण तक बनाये रखे। पत्रावाली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। आदेश आज दिनांक **08–04–2026** खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (जगदीश चन्द्र बामनिया RAS) उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	